उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 151/2018/2288/92-2-18-17जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 30 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2016-17 में कतिपय वाहन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि मु0 रू0 27,00,000.00 (रू0 सत्ताइस लाख मात्र) को ससमय आहरित कर व्यय न किये जाने के कारण उक्त धनराशि लैप्स हो जाने की अनियमितता हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-54/2018/783/92-2-18-17जांच/2018 दिनांक 05.04.2018 द्वारा श्री अशोक कुमार, तत्का0 आहरण वितरण अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27/ग्रा0अ0वि0/आ0कु0अधि0अभि0/जांच/पत्रा0/2018-19 दिनांक 04.09.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री अशोक कुमार पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप सिद्ध नही पाया गया है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री अशोक कुमार, तत्का0 अधिशासी अभियंता/आहरण वितरण अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- श्रावस्ती पर अधिरोपित मात्र 01 आरोप सिद्ध नही पाया गया। अतएव उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.04.2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-151/2018/2288(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 ।

2- श्री अशोक कुमार, तत्का0 अधिशासी अभियंता/आहरण वितरण अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- श्रावस्ती द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 , लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in